



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052022-235923
CG-DL-E-21052022-235923

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2208]
No. 2208]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 20, 2022/वैशाख 30, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 20, 2022/VAISAKHA 30, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2022

का.आ. 2328(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में NH4 के कि.मी. 725 से कि.मी.865.35 (नंबर 525, भुसम्पदान भवन, पहली मंजिल, सदर बाजार, जिला: सतारा- 415001) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "06/09/2021 " को " पुणे टाइम्स मिरर" और "दैनिक लोकमत" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को

अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में NH4 के कि.मी. 725 से कि.मी.865.35 (नंबर 525, भुसम्पदान भवन, पहली मंजिल, सदर बाजार, जिला: सतारा- 415001) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: पुणे			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: भोर				
	गांव का नाम: कापूरहोळ				
1	196/1	निजी(एग्रीकल्चर)	एग्रीकल्चर	0.06	तुकाराम श्रीरंग गाडे , पांडुरंग श्रीरंग गाडे , विलास श्रीरंग गाडे (196)
			कुल	0.06	

[फा. सं. NHAI/PIU/PUNE/P-S-6 Lanning/LA/2013/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2022

S.O. 2328(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said

notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH4 on the stretch of land from Km 725 to Km 865.35 (No. 525, Bhusampadan Bhawan, 1st Floor, Sadar Bazar, Dist.: Satara- 415001) in the district of PUNE in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in “Pune Times Mirror” and “Daily Lokmat” both dated 06/09/2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH4 in the stretch of land from Km. 725 to Km. 865.35 (No. 525, Bhusampadan Bhawan, 1st Floor, Sadar Bazar, Dist.: Satara- 415001) in the district of PUNE in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA			District: PUNE		
Sr. NO.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Bhore				
	Village: Kapurhol				
1	196/1	Private(Agriculture)	Agriculture	0.06	Tukaram Shrirang Gade , Pandurang Shrirang Gade , Vilas Shrirang Gade 196
			TOTAL	0.06	

[F. No. NHAI/PIU/PUNE/P-S-6 Lanning/LA/2013/3D]

RAJESH GUPTA, Director